



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 20.09.2023

थाना छपरौली द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 10 हजार रूपये के इनामी अभियुक्त जुनैद को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 10,000 रूपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । उपरोक्त अभियुक्त जुनैद की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 10 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुनैद पुत्र रियाज निवासी ग्राम तितरवाडा थाना कैराना जनपद शामिली ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 205/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 12/23 धारा 392/411 भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 23/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 378/20 धारा 279/337/338 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
- 5-मु0अ0सं0 62/22 धारा 395/412/120बी भादवि थाना झिझाना जनपद शामिली ।
- 6-मु0अ0सं0 73/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झिझाना जनपद शामिली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरीक्षक श्री रवि रतन सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-व०उ०नि० श्री गवेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का० 908 योगेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।